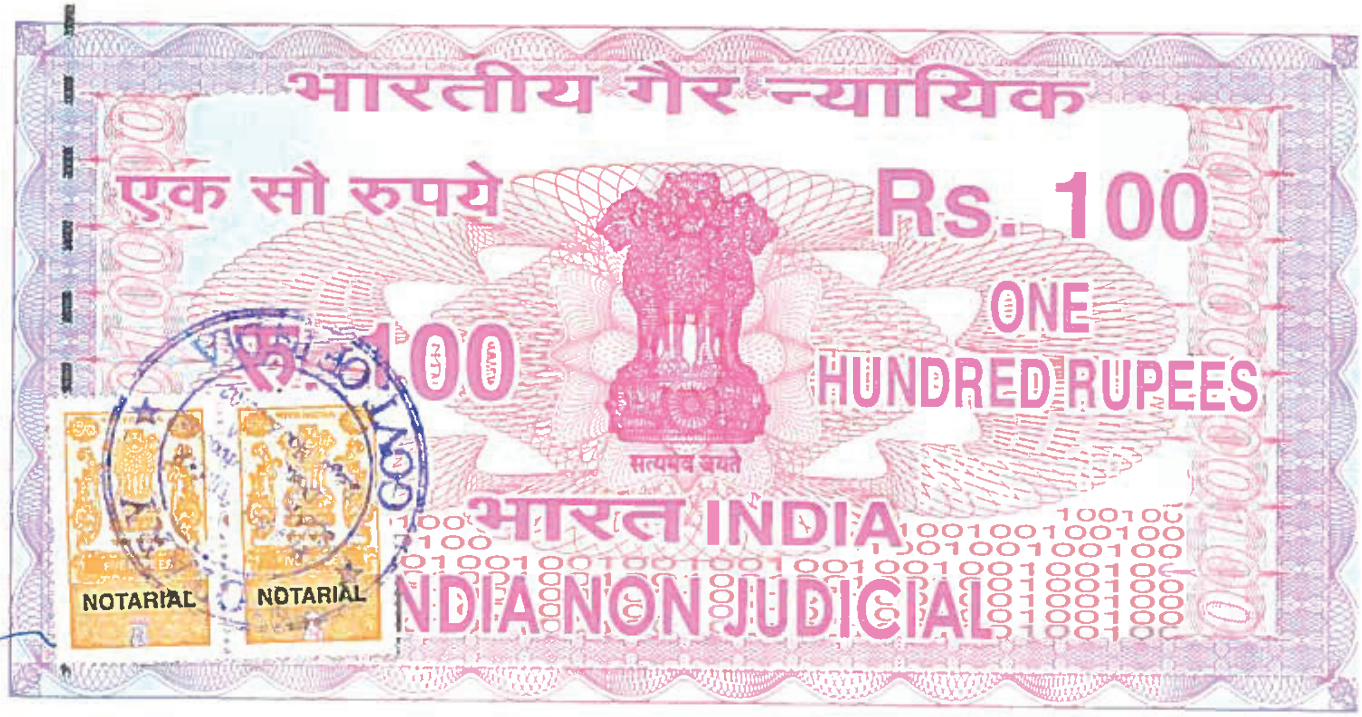

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CX 764872

AFFIDAVIT

I, **Dr. Abhishek Kumar Gupta** son of **Shri Vijay Kumar Gupta** and **Director** of the **Shanti Niketan College of Business Management & Computer Science, Tehra, Agra** aged about 41 years, resident of **2/363A, The Mall Road, Pratap Pura X-ing, Agra-282001**, am the authorized signatory of the application made to the Regional Committee of the National Council For Teacher Education at Jaipur seeking grant of recognition / permission for conducting a course in Teacher Education titled **D.El.Ed. (B.T.C.)** with Additional intake of **2 (Two)** unit **(50 Seats in each unit) in I year & same in II year**.

2. That the **Shanti Niketan College of Business Management & Computer Science, Tehra, Agra** Under Control & Managed by **Swarajya Educational & Welfare Society** is in possession of land as per the following description:-

2.1 Total Area of the land (in Sqr. Mts.): **22276.00 Sqr. Mts.**

2.2 Address :

Plot No :	259 GA, 260 KA, 262 & 268
Khasra No :	259 GA, 260 KA, 262 & 268
Villaga /Town / City :	Tehra, Tehsil - Kheragarh
District :	Agra
State :	Uttar Pradesh

S.No. 5 / 16/7/16

NOTARY ... KUMAR Advocate ... GOVT. OF INDIA

SHANTI NIKETAN COLLEGE Director

Bounded by

North:	Other Land
South:	20 ft. Wide Road
East:	Other Land
West:	Other Land

Registered in the office of : Sub-Registrar, Tehsil- Kheragarh, Agra on 30-03-2002.

3. That the land is on ownership basis.

4. That the land is free from all encumbrances.

5. That the land is exclusively meant for running the educational institution and the permission of the Competent Authority to this effect has been obtained vide letter No. **05/02-03** dated **05-06-2003** & letter No. **25/07-08** dated **29-09-2008** and a copy thereof is enclosed.

6. That the said premises shall not be used for running educational activity/institution, other than the teacher education programme for which recognition is being sought.

7. That the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the institution for general public.

8. I do hereby swear that my declaration under Para's(1) to (6) are ture and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian Penal Code and other relevant laws.

NOTARY PAWAN KUMAR SHARMA, Advocate Distt. AGRA Regd. No. 2323/02 GOVT. OF INDIA

Dr. Abhishek Kumar Gupta, Director,
Shanti Niketan College of Business
Management & Computer Science
Plot No. 260 KA, 259 GA, 262 & 268,
NH-3, Agra-Gwalior Road,
Tehra, Teh.- Kheragarh, Agra
09358506796
drakgupta3674@gmail.com
www.sn-college.co.in

Place: Agra
Date: 18-01-2016

ATTESTED
Pawan Kumar Sharma
NOTARY, AGRA

न्यायालय उप- जिलाधिकारी खेरागढ़, आगरा।

मु० नं० - 5 /2003

अभिषेक कुमार बनाम ग्राम सभा तेहरा

अन्तर्गत धारा 143 भू-राजस्व अधिनियम
ग्राम - तेहरा तहसील खेरागढ़, जिला आगरा।

नकल आदेश मेरखा 5-6-03

अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार निवासी 2/... नामनेर आगरा व हैसियत निदेशक - शान्ति निकेतन कालेज ऑफ बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर साइंस, तेहरा जिला आगरा, धारा 143 भू-राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि खाता संख्या 22 के खसरा संख्या - 260 क रकबा 0-6050 हैक्टेयर लगानी 19-70 पैसे पर काबिज व दखील है। और है कि उक्त आराजी मौके पर आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है, कृषि प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। जो कि विगत लगभग एक वर्ष से आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है। उक्त आधार पर उपरोक्त भूमि को आबादी घोषित किए जाने की प्रार्थना- की है।

प्रार्थना-पत्र की जाँच तहसीलदार से करायी गयी। प्राप्त आख्या दिनांक 22-3-03 में अवगत कराया है कि उल्लिखित भूमि कृषि के प्रयोग में नहीं आ रही है। यह भूमि आबादी के प्रयोजन में आ रही है। उक्त भूमि के सम्बंध में यह भी अवगत कराया है कि उक्त भूमि का स्वामित्व शान्ति निकेतन कालेज ऑफ बिजनिस मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर साइंस तेहरा तहसील खेरागढ़ जिला आगरा का है जिसमें श्री अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार का नाम मात्र निदेशक की हैसियत से दर्ज है। तथा उक्त भूमि एक वर्ष से आबादी प्रयोजन में लायी जा रही है। तथा वर्तमान में भी आबादी प्रयोग में लायी जा रही है। अतः आबादी प्रख्यापित किए जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रतिलिपि खसरा एवं तहसील से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया जिससे प्रकट है कि प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रही है। तथा आबादी के प्रयोजन में आ रही है। प्रतिलिपि खसरा ग्राम तेहरा 1407 फसली में उल्लिखित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

अतः तहसीलदार खेरागढ़ की संस्तुति दिनांक 22-3-2003 के आधार पर ग्राम तेहरा का गाटा संख्या- 260क रकबा 0-6050हे० लगान 19-70 पै० को आबादी घोषित किया जाता है, तथा लगान मुक्त किया जाता है। तद्नुसार प्रख्यापन जारी किया जाय।

दिनांक: 5-6-203.

(एस० के० ...)
उपजिलाधिकारी खेरागढ़
जिला आगरा।

COPYING SECTION Kheragarh (Agra) S.D.M.

TRUE COPY
Copying Officer

क्रमांक 311
आवेदक का नाम ...
आवेदन की तिथि 5-6-03
... तिथि 6/6/03
... 12 ...
... 6/50
... ...
प्रति लिपिक के हस्ताक्षर ...

NOTARY ... KUMAR Advocate ... AGRA Regd. No. ... GOVT. OF INDIA

न्यायालय उपजिलाधिकारी खेरागढ़, जिला आगरा।

वाद संख्या 95 / 07–08

अभिषेक कुमार आदि वनाम् सरकार

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अ0

मौजा तेहरा, तहसील खेरागढ़

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार व हैसियत निदेशक शांति निकेतक कालेज ऑफ बिजनिस मैनिजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर सांइस 2/363 नागनेर आगरा तहसील व जिला आगरा के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2008 पर प्रारम्भ हुयी, आवेदक का कथन है कि वह मौजा तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा के खाता संख्या 791 के गाटा संख्या 262 रकवा 0.3680 व गाटासंख्या 268 रकवा 0.9060 कुल किता 2 कुल रकवा 1.2740 हेक्टैयर में 1/3 भाग रकवा रसदी 0.4246 हेक्टैयर व खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 हेक्टैयर में पूर्ण भाग का मालिक काविज व स्वामी है। उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोग में नही ली जा रही है। विद्यालय के खेल के मैदान के रूप में दो वर्षो से प्रयोग में ली जा रही हैं उक्त भूमि पर मत्स्य पालन, कुटकुट पालन व पशुपालन नही किया जा रहा हैं।अन्त में उसने आवादी घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार खेरागढ से आख्या प्राप्त की गयी, तहसीलदार खेरागढ ने दिनांक 20.09.2008 को नियम 135(1) ज0वि0 अधि0 के तहत नियत प्रारूप के साथ साथ विस्तृत आख्या प्रस्तुत करते हुए उल्लखित किया हैं कि ग्राम तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा के गाटा संख्या 259ग क्षेत्रफल 1.1980 हेक्टैयर पूर्ण रकवा में अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार व हैसियत निदेशक शांति निकेतक कालेज ऑफ बिजनिस मैनिजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर सांइस चला रहा है प्रार्थी की उक्त भूमि पर विगत 2 वर्ष से कृषि कार्य नही हो रहा है

TRUE COPY
Presiding Officer

NOTARY ... KUMAR Advocate ... Regd No. 2323/02 ... GOVT. OF INDIA

COPYING SECTION S.D.O.S.D.

ONE RUPEE COURT FEE INDIA

तथा उक्त भूमि पर मत्स्य पालन कुटकुट, बागवानी, पशुपालन, कृषि कार्य नही हो रहा है तथा गाटा संख्या 259 ग रकबा 1.1980 हैक्टैयर स्थित ग्राम तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा को आवादी अकृषक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की जिस पर दिनांक 22.09.2008 को आदेश पारित कर प्रार्थी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2008 के कम में तहसीलदार खेरागढ से पुनः स्पष्ट आख्या मांगी गयी तहसीलदार खेरागढ द्वारा अपनी पुनः आख्या दिनांक 22.09.2008 से अवगत कराया है कि प्रार्थी/वादी द्वारा 22.09.2008 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2008 में खाता संख्या 791 के गाटा संख्या 262 रकबा 0.3680 व गाटा संख्या 268 रकवा 0.9060 कुल किता 2 कुल रकवा 1.2740 हेक्टैयर में 1/3 भाग है व खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग जो प्रार्थी का तन्हा संकमणीय भूमिधरी गाटा है एवं आवादी घोषित किये जाने हेतु उपर्युक्त हैं, को पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2008 में संशोधन कर गाटा संख्या 259ग क्षेत्रफल 1.1980 हेक्टेयर लगानी 33.93 रूपया को आवादी घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी हैं तहसीलदार खेरागढ द्वारा पुनः अपनी जांच आख्या दिनांक 22.09.2008 के द्वारा अपनी पूर्व आख्या दिनांक 20.09.2008 के तारतम्य में मेरे द्वारा उल्लखित निदेर्श दिनांक 22.09.2008 के समादर आख्या प्रस्तुत कर उल्लखित किया है कि गाटा संख्या 262, 268 प्रार्थी के संयुक्त खाते की भूमि हैं जिसमें सम्मलित खातेदारों द्वारा कोई सहमति प्रदान नही की गयी हैं गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1960 लगानी 33.93 रूपया प्रार्थी के नाम तन्हा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है अतः संशोधित प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गाटा संख्या 159ग क्षेत्रफल 1.1980 लगानी 33.93 रूपया को अकृषक भूमि घोषित कर लगान मुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

नियमानुसार वाद दर्ज कर वादकारी को नोटिस जारी किया गया दिनांक 29.09.2008 को प्रार्थी अभिषेक कुमार पुत्र श्री विजय कुमार व हैसियत निदेशक शांति निकेतन कालेज ऑफ़ बिजनिस मैनिजमेन्ट एण्ड कम्प्यूटर सांइस 2/363 नागनेर आगरा तहसील व जिला आगरा न्यायालय में हाजिर आये एवं अपना ब्यान अंकित कराया तथा उल्लखित कराया कि प्रार्थी के नाम अंकित गाटा संख्या 259ग

COPYING SECTION S.D.O.S.D.M.

NOTARY GOVT. OF INDIA Regd. No. 25523/02

TRUE COPY
Presiding Officer

क्षेत्रफल 1.1980 लगानी 33.93 रूपया उसकी तन्हा संक्रमणीय भूमिधरी आराजी हैं वह 2 वर्षो से आवादी के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है उक्त आराजी के संबंध में कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

प्रार्थी को सुनने व पत्रावली का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 लगानी 33.93 रूपया को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई बाधा प्रतीत नही होती है अतः आदेश दिया जाता है कि

आदेश

ग्राम तेहरा तहसील खेरागढ जिला आगरा के खाता संख्या 19 के गाटा संख्या 259ग रकवा 1.1980 है0 लगानी 33.93 रूपया को उ0प्र0ज0वि0 अधि0 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत तहसीलदार खेरागढ की आख्या दिनांक 22.09.2008 के आधार पर अकृषिक घोषित कर भू–राजस्व से मुक्त किया जाता है।आदेश की एक प्रति तहसीलदार खेरागढ व उपनिबंधक खेरागढ़ को भेजी जाए।प्राख्यापन जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

29/09/2008

(अच्छेलालसिंह यादव)
उपजिलाधिकारी खेरागढ़,
आगरा।

COPYING SECTION Kheragarh S.D.O./S.D.M.

क्रमांक 13
आवेदक का नाम विजय सिंह
आवेदन की तिथि 15-10-08
तिथि 15.10.08
450
7=00
निरीक्षक
प्रति लिपिक के हस्ताक्षर

NOTARY PAWAN KUMAR Advocate AGRA Regd. No. 2523/02 GOVT. OF INDIA

TRUE COPY
Presiding Officer

6